उत्तर प्रदेश शासन

खेल अनुभाग

संख्या- 20/2017/1588/बयालिस-2017-27(बजट)/2016

लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2017

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष- 2017-18 के प्रथम पॉच माहों (अप्रैल, से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष धनराशि निदेशक, खले के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या- 495/बयालिस-2017-27(बजट)/2016, दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के साथ संलग्न संलग्नक में राज्स्व लेखा पक्ष के मददेय योग- 001 में रू0 1491.85 लाख होना चाहिए। जिसके कारण शासनादेश के प्रस्तर- 1 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि त्रुटिवश रू0 2786.83 लाख टंकित हो गया, जबकि उक्त के स्थान पर रू0 2768.11 लाख होना चाहिए।

अतः शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के प्रस्तर- 1 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 2768.11 लाख पढ़ा जाये तथा शासनादेश के साथ संलग्न विवरण में राजस्व लेखा पक्ष के मतदेय योग- 001 रू0 1491.85 लाख पढ़ा जाये।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 1588(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकरण, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकरण, उ0प्र0 (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।।
(3)- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/5
(6)- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
(7)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।